

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

बाबूलाल बनाम ओमप्रकाश वगै०

मुकदमा नम्बर :-

79/2024

79/2024/103  
आज्ञा विस्तृत रूप से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

कम संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

विशेष विवरण

23.08.2024

प्रार्थी की ओर से प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज०काश्त० अधिनियम- 1955 के तहत पेश हुआ। प्रार्थी की ओर से हाजिर अधिवक्ता ने अंतरिम बहस हेतु निवेदन किया। हाजिर अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार कर अंतरिम बहस (प्रार्थना पत्र) के आदेश दिये गये। इस पर हाजिर अधिवक्ता द्वारा अंतरिम बहस की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई अंतरिम बहस को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी वकील ने अपनी अंतरिम बहस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के पक्ष में अन्तस्मि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन करते हुए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित करानी चाही है।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा राज०काश्त० अधिनियम- 1955 का अवलोकन किया गया, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, प्रार्थी का शपथ पत्र का अवलोकन किया, चिंतन व मनन किया गया। वकील प्रार्थी के निवेदन को एक तरफा अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में होने एवं अपूर्तनीय क्षति कारित होने की संभावना को देखते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पक्ष प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमी खसरा नम्बर 1528 ता 1532, 1535/2105, 1538, 1549, 1550, 1552, 1557 ता 1560, 1533 ता 1537, 1553, 1554, 1556 कुल किता 22 का कुल रकबा 9.83 हैक्टियर भूमि वाकें ग्राम मलिकपुर, पटवार. हल्का मलिकपुर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त अन्तरिम टी०आई० आदेश सीमाज्ञान/पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने सम्बन्धी विधिक प्रक्रिया की पालना में लागू नहीं होगी।

चूंकी एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थी को अनिवार्यतः बहस करनी होगी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

प्रार्थी वकील को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व रजि० एडी० के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश कि तामील की टोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। पालना नहीं करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः प्रभावहीन हो जावेगा। उक्त आदेश से यदि अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज हो तो दिनांक 20.09.2024 को 10.00 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस मय आदेश जारी कर पत्रवाली वास्ते देखने तामील दिनांक 20.09.2024 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
चौमूं (जयपुर)

20/9/24 व. प्रार्थी (डप.) - अग्रार्थि का प्र. वि.  
 स्वीकृत पेश की। पर मूल वाड के संलग्न  
 प्रभाव की वाड वसुधा-डिगेंड 09/10/24 के पेश  
 की।

09/10/24 व. प्रार्थी (डप.) प्रभाव की वसुधा-डिगेंड में संलग्न  
 अग्रार्थी डिगेंड 08/11/24 के पेश की।

08/11/24 व. प्रार्थी (डप.) अग्रार्थि सं. 1 वा 25 के प्र. वि. रवी-  
 के 1 महीने के अग्रार्थि का लाभ से अग्रार्थि  
 इनके और-से कोई उपस्थित नहीं है अतः  
 इनके समिल नहीं जाय- इनके विकट  
 समस्थित करवाये अग्रार्थि के लाभ- जारी  
 प्रभाव की वाड वसुधा-डिगेंड 16/12/24 के पेश की।

16/12/24

वसुधा-डिगेंड में प्र. वि. कार्य  
 के अंतर्गत प्र. वि. कार्य  
 अग्रार्थि डिगेंड 8/11/24  
 को पेश होकर

03/2/25 - व. प्रार्थी (डप.) अग्रार्थि सं. 1 व. 25 सुनी गयी।  
 प्र. प्रार्थी व. प्रभाव की वसुधा-डिगेंड-अग्रार्थि  
 के व्यवस्थापन किया गया। अग्रार्थि पर मूल  
 किया गया। मूल वाड वसुधा-डिगेंड व वसुधा-डिगेंड  
 का हरे के प्राथमिक डिगेंड किया जा चुका है  
 प्रकरण के पूर्व से अग्रार्थि-अग्रार्थि डिगेंड  
 जारी के हरे हो अतः अग्रार्थि के प्र. वि. कार्य  
 मूल वाड वसुधा-डिगेंड किया जाय- अग्रार्थि डिगेंड-  
 अतः अतः अतः अतः अतः अतः अतः अतः  
 वसुधा-डिगेंड मूल वाड वसुधा-डिगेंड किया जाता है  
 प्रभाव की वसुधा-डिगेंड अग्रार्थि मूल वाड के संलग्न  
 की।

सहायक कलक्टर  
 वसुधा-डिगेंड (जयपुर)